

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं0 736/2012/03(120)/XXVII(8)/07

दिनांक: देहरादून: 03 अगस्त, 2012

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं0 519/2012/03(120)/XXVII(8)/07 दिनांक 30 मई, 2012 का क्रियान्वयन तत्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रत्नेंद्री)  
सचिव, वित्त।

सं0 736 / 2012 / 03(120) / XXVII(8) / 07 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—अन्युकृत, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुडकी जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5—एन0आई0सी0

6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

७ अगस्त

(प्रदीप सिंह रावत)  
उपसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 736 / 2012 / 03(120) / XXVII(8) / 07 dated, 03 August, 2012 for general information.

**Government of Uttarakhand**

**Finance Section-8**

**No. 736 / 2012 / 03(120) / XXVII(8) / 07**

**Dehradun :: Dated: : 03 August, 2012**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to postpone with immediate effect, the implementation of the notification no. 519 / 2012 / 03(120) / XXVII(8) / 07 dated 30 May, 2012 till further orders.

(Radha Raturi)

Secretary

Dated at Dehradun on the 03rd day of August, 2012.  
In witness whereof, I have signed this document and affixed my official seal.  
This is to certify that the above document is a true copy of the original document.  
Dated at Dehradun on the 03rd day of August, 2012.